



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018

Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in)

Tel. : 0141-2722520

क्रमांक: प.8(108)RSSB/प.आ./कानि.अनु.सी.भ.प./2024/656

दिनांक: 31/12/2024

**विज्ञापित**

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को बैठने हेतु ड्रेसकोड में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित ड्रेसकोड के निर्देश संलग्न हैं। परीक्षार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आगामी भर्ती परीक्षाओं में बैठने से पूर्व इन निर्देशों का भली प्रकार से अवलोकन कर पालना सुनिश्चित करें।

नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) एवं [www.rssb.rajasthan.gov.in](http://www.rssb.rajasthan.gov.in) का नियमित रूप से अवलोकन करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

*(Signature)*  
सचिव  
दिनांक: 31/12/2024

## 6- ड्रेस कोड

बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के लिए निम्नानुसार ड्रेस कोड निर्धारित की गयी है :-

**दिनांक 01 मार्च से 31 अक्टूबर तक की अवधि में आयोजित परीक्षाओं के लिए ड्रेस कोड :-**

1. पुरुष अभ्यर्थी आधी/पूरी आस्तीन के शर्ट/टी-शर्ट, पैंट पहन कर आयेंगे।
2. महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी, आधी/पूरी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज पहन कर एवं बालों में साधारण रबड बैंड लगा कर आवेंगी।
3. परीक्षार्थी पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहन कर आ सकते हैं किन्तु अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।
4. परीक्षार्थी लाख/कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली (Earring), अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आयेंगे।
5. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। हवाई चप्पल(स्लीपर), सैण्डल, जूते एवं मोजे सभी छोटे टकने (Ankle) तक के पहनकर आने की अनुमति होगी। मेटल चेन वाले जूते को पहनने की अनुमति नहीं होगी।
6. यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह/विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।

**दिनांक 01 नवम्बर से 28/29 फरवरी तक की अवधि में आयोजित परीक्षाओं के लिए ड्रेस कोड :-**

1. टाई, मफलर, जरकिन, शॉल आदि पहन कर नहीं आवें। परीक्षार्थी कोट/जैकेट (जिसमें कोई मेटल का बटन या चेन या कोई भी मेटल की चीज लगी हुई नहीं हो), पूरी आस्तीन की शर्ट, बिना जेब वाली गर्म जर्सी/स्वेटर जिनमें बड़े बटन नहीं लगे हों, पहनकर आ सकते हैं। शर्ट में किसी तरह का बैज आदि नहीं लगा हो या ऐसे कपड़े जिसमें आपत्तिजनक सामग्री आदि छुपाये जाने की संभावना हो, पहनकर नहीं आवें। महिलायें अपने बालों में रबर बैंड या साधारण किस्म की हेयरपिन लगा कर आ सकती हैं।
2. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र पर तलाशी के समय संदेह की स्थिति में अपना कोट, जैकेट, स्वेटर, जर्सी उतार कर/सिर से स्कार्फ आदि हटाकर तलाशी देनी होगी।
3. परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज, चुन्नी आदि पहन कर आने की अनुमति होगी परन्तु अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।
4. परीक्षार्थी लाख/कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली (Earring), अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आयेंगे।
5. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। हवाई चप्पल(स्लीपर), सैण्डल, जूते एवं मोजे सभी छोटे टकने (Ankle) तक के पहनकर आने की अनुमति होगी। मेटल चेन वाले जूते को पहनने की अनुमति नहीं होगी।
6. यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह/विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।

**परीक्षार्थियों को ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी।**

गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक: प.27(14) गृह-1/2008 दिनांक 04.12.2019 के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाये किन्तु कृपाण छोटी साइज की एवं कवर्ड होनी चाहिए तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इस धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर दो घन्टा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं यदि Frisking के दौरान किसी सिख अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रतीकों में कोई संदेहास्पद उपकरण (Suspected Device) ले जाना पाया जाये तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं ले जाने दिया जाये।

  
17.12.24  
(डॉ० बी. सी. बघाल)  
सचिव